तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिसियल जज
	मु0न0 10/2025 उनवानी वाहीद अली बनाम राज0 सरकार जरिये सहा0 अभियोजन अधिकारी धौलपुर
19.01.2026	उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। वाहन सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी वाहीद अली पुत्र श्री आशिक अली जाति मुसलमान निवासी बीबीसीएस मकबरे के पास उज्जैन थाना महाकाल जिला उज्जैन (म0प्र0) हाल निवासी 12ब्लॉक–ए/108एकता पास आगर रोड नाका नम्बर 5 उज्जैन म0प्र0 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया कि पुलिस थाना सदर बाडी द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 की धारा 3, 5, व 8 एवं पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) व 11(1) के तहत प्राथमिकी संख्या 62/2023 दिनांक 27.2.2023 को दर्ज की। उक्त प्रकरण पुलिस थाना सदर बाडी द्वारा आरोपी अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमांक–3 बाडी में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका प्रकरण सरकार बनाम राजू भानेज व अन्य प्रस्तुत किया गया जिसका नियमित फौजदारी प्रकरण 109/2023 है। उपरोक्त प्रकरण जब्तशुदा वाहन ट्रक MP13H0664 का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त वाहन दिनांक 26.02.2022 से पुलिस थाना सदर बाडी मे जब्तशुदा खडा है। प्रार्थी को वाहन की आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने पर अधिक समय खडा रहने से उसमें तकनीकी खराब होने तथा मूल्यहास्य होने की पूर्ण संभावना है। अतः उक्त जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बरी MP13H0664 को प्रार्थी सुपुर्दगार को सुपुर्दगी पर दिये जाने वास्ते आदेश दिया जावे। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध कर प्रार्थी का सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी थाना सदर बाडी से प्रकरण की केस डायरी की प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दि0 24.09.2025 का अवलोकन किया जिसमें उन्होने अंकित किया है कि मुल्जिम वाहीदअली, राजू भानेज, हटेसिंह के विरूद्व अपराध धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 व 11(1)घ व 11(1)च पशु कूरता अधिनियम 1960 का प्रमाणित है एवं मुल्जिम हटेसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति बंजारा उम्र 33

2

साल निवासी नवादा थाना उन्हेल जिला उज्जैन म0प्र0 के विरूद्व के पुलिस अधीक्षक के आदेश क्रमांक 1898 दिनांक 5.03.2024 को तितम्बा धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 व 11(1)घ व 11(1)च पशु क्रूरता अधिनियम 1960 चालान आदेश प्राप्त कर चार्जशीट दिनांक 05.03.2024 मुल्जिम हटेसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति बंजारा उम्र 33 साल निवासी नवादा थाना उन्हेल जिला उज्जैन म0प्र0 के खिलाफ जुर्म धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 व 11(1)घ व 11(1)च पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में किता पूर्ण चालान न्यायालय एसीजेएम नम्बर 3 बाडी में दिनांक 12.11.2024 को पेश किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है। जब पुलिस जांच में मुल्जिम वाहीदअली, राजू भानेज, हटेसिंह के विरूद्व अपराध धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 व 11(1)घ व 11(1)च पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का प्रमाणित है जिसका वाद न्यायालय में अभी विचाराधीन है ऐसी स्थिति में वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नही समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर